तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज आर्य वेदप्रकाश बनाम सरकार (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 29 / 2020) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2020 / 00044)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.12.2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः सम्पर्क / आरटीआई. / 2020 / 4782 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 लगा04 की सूचना चाही गई, अपीलार्थी श्री आर्य वेदप्रकाश को बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना आवेदक को 10 पुश्ठों में उपलब्ध कराई गई है प्राप्ति रसीद की प्रति परशिठ–01 पर संलग्न है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना आयुक्त नगर परशिद धौलपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 10689 दिनांक 5.10.2020 द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्राप्ति रसीद संलग्न है। आवेदन के बिन्दु संख्या–2 की सूचना आयुक्त नगर परिश्द धौलपुर से सम्बधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र लो.सू.अ.(नगर परिशद धौलपुर)को पत्र कमांक 283.86 दि016.9.2020 से भिजवाया गया है। उक्त पत्र की प्रति आवेदक को भी प्रेशित कर सूचित किया गया हैं। अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	